भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4983

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : वर्षा जल संचयन

4983. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

श्री धनुष एम. कुमारः

श्री कुलदीप राय शर्माः

डॉ. हिना विजय कुमार गावीतः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसान गिरते भू-जल स्तर के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में किसानों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन में प्रति किसानों में जागरूकता फैलाने और गिरते भू जल स्तर की समस्या के समाधन हेतु कोई कार्यक्रम चलाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वर्षा जल संचयन के लिए किसानों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): विभिन्न कार्यकलापों में उपयोगों करने के लिए स्वच्छ जल की बढ़ती मांग, वर्षा की अनियमितता, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण आदि जैसे कारणों से अनवरत जल निकासी के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल के स्तर में कमी आ रही है।

केंद्रीय भूमिगत-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश में प्रेक्षण कुओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर वर्ष में चार बार भूमिगत जल की निगरानी करता है। मानसूनपूर्व जल स्तर के आंकड़े (2018) के अनुसार कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग पॉकेट के रूप में गहरे भू-जल स्तर (सतही स्तर से 40 मीटर से अधिक नीचे) का प्रेक्षण किया गया है। मानसूनपूर्व अवधि 2018 के दौरान भूमिगत जल की गहराई और कुओं का प्रतिशत संबंधी राज्य-वार विवरण **अनुबंध- I** पर है।

(ख), (ग) एवं (च): पानी राज्य का विषय है, वर्षा के जल के संचयन सहित भूमिगत जल का संरक्षण करने के लिए राज्य प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।

पीएमकेएसवाई के पनधारा विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि में केंद्रीय हिस्से के रूप में 33642.24 करोड़ से 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर

क्षेत्र को कवर करने वाली 8214 पनधारा विकास परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय हिस्से के रूप में 15683.57 करोड़ रुपये (2009-10 से 2017-18 तक) निर्मुक्त किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत 1.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को डब्ल्यूडीसी- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रावधानों में अनुसूची -1, धारा 4 (3), पैरा 4 (1) 'श्रेणी: क: के अनुसार, राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन पैरा (i) से संबंधित सार्वजनिक निर्माण; पेयजल के स्रोतों सहित भू-जल को रिचार्ज करने पर विशेष फोकस करते हुए भूमिगत डाइक, मिट्टी के बांध, पानी रोकने वाले बांध, चेक बांध जैसे भूमिगत जल को बढ़ाने तथा उन्नत करने के लिए जल संरक्षण और जल संचयन अवसंरचनाएँ प्रमुख स्वीकार्य कार्यकलाप हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधि का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(**घ) और (ड.**): माननीय प्रधान मंत्री ने जल संरक्षण तथा वर्षा जल के संचयन के महत्व का उल्लेख करते हुए सभी सरपंचों को दिनांक 08.06.2019 को एक पत्र लिखा है और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करने के लिए उनका आह्वान किया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान की शुरूआत की है, जो एक समयबद्ध अभियान है और जिसे पानी के अभाव वाले ब्लॉक में भूमिगत जल की स्थिति सहित जल की उपलब्धता को सुधारने के प्रयोजन से मिशन मोड में शुरू किया गया है। शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

अनुबंध- I

लो.स.अता.प्र.सं.4983

मानसूनपूर्व 2018 की अवधि में कूओं के जल स्तर की गहराई तथा कुओं का प्रतिशत संबंधी राज्य-वार विवरण

			जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल)		निम्नलिखित श्रेणी के जल स्तर (एमबीजीएल) की गहराई दर्शाने वाले कुओं की संख्या एवं प्रतिशत											
		विश्लेषित किए गए कुओं की सं.			0-2		02-मई		05-अक्तू.		अक्तू -20		20-40		> 40	
क्र.सं.	राज्यों का नाम		न्यून.	अधि.	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	104	0.06	7.3	84	81	18	17	2	1.9	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	718	0.09	49.3	59	8.22	319	44.43	250	34.8	83	11.56	5	0.7	2	0.28
3	अरुणाचल प्रदेश	8	2.27	11.58	0	0	5	62.5	1	12.5	2	25	0	0	0	0
4	असम	155	0.18	18.83	35	22.58	91	58.71	25	16.13	4	2.58	0	0	0	0
5	बिहार	642	0.53	15.8	12	1.87	257	40.03	335	52.18	38	5.92	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	9	4.29	42.38	0	0	1	11.11	2	22.22	3	33.33	2	22.22	1	11.11
7	छत्तीसगढ़	490	1.3	34.1	8	1.63	89	18.16	302	61.63	83	16.94	8	1.63	0	0
8	दादरा और नगर हवेली	17	3.02	15.91	0	0	5	29.41	8	47.06	4	23.53	0	0	0	0
9	दमन और दीव	10	3.24	11.8	0	0	2	20	7	70	1	10	0	0	0	0
10	दिल्ली	82	0.71	65	1	1.22	16	19.51	16	19.51	24	29.27	16	19.51	9	10.98
11	गोवा	70	0.86	14.95	6	8.57	29	41.43	26	37.14	9	12.86	0	0	0	0
12	गुजरात	758	0.54	62.2	15	1.98	127	16.75	254	33.51	264	34.83	92	12.14	6	0.79
13	हरियाणा	284	1.28	81.83	8	2.82	54	19.01	77	27.11	78	27.46	57	20.07	10	3.52
14	हिमाचल प्रदेश	86	0.56	28.56	6	6.98	33	38.37	27	31.4	17	19.77	3	3.49	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	252	0.75	35.5	18	7.14	112	44.44	84	33.33	28	11.11	10	3.97	0	0
16	झारखंड	260	0.74	18.92	4	1.54	41	15.77	179	68.85	36	13.85	0	0	0	0
17	कर्नाटक	1343	0.22	30.7	140	10.42	353	26.28	540	40.21	294	21.89	16	1.19	0	0
18	केरल	1441	0.09	65.4	96	6.66	424	29.42	627	43.51	267	18.53	24	1.67	3	0.21
19	मध्य प्रदेश	1330	0.9	40.25	16	1.2	144	10.83	587	44.14	525	39.47	57	4.29	1	0.08
20	महाराष्ट्र	1646	0.01	55.1	73	4.43	282	17.13	768	46.66	463	28.13	57	3.46	3	0.18
21	मेघालय	22	0.2	5.06	2	9.09	18	81.82	2	9.09	0	0	0	0	0	0
22	ओडिशा	1261	0.12	15.73	142	11.26	540	42.82	540	42.82	39	3.09	0	0	0	0
23	पांडिचेरी	5	2.35	3.08	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	225	0.45	42.18	9	4	34	15.11	50	22.22	61	27.11	68	30.22	3	1.33
25	राजस्थान	994	0.27	114	21	2.11	104	10.46	224	22.54	257	25.86	187	18.81	201	20.22
26	तमिलनाडु	529	0	82.6	28	5.29	138	26.09	213	40.26	118	22.31	19	3.59	13	2.46
27	तेलंगाना	575	0.11	69.5	22	3.83	105	18.26	228	39.65	173	30.09	41	7.13	6	1.04
28	त्रिपुरा	25	0.17	6.75	7	28	12	48	6	24	0	0	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	567	0.74	39.35	6	1.06	147	25.93	258	45.5	131	23.1	25	4.41	0	0
30	उत्तराखंड	31	2.86	72.58	0	0	9	29.03	11	35.48	7	22.58	2	6.45	2	6.45
31	पश्चिम बंगाल	652	0.4	27.12	54	8.28	232	35.58	237	36.35	106	16.26	23	3.53	0	0
कुल		**14591**			**872**	**5.98**	**3746**	**25.67**	**5886**	**40.34**	**3115**	**21.35**	**712**	**4.88**	**260**	**1.8**

अनुबंध- II

लो.स.अता.प्र.सं.4983

मनरेगा के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधि (2016-17 से 2019-20)

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17 *	2017-18 #	2018-19 $	2019-20 (02.07.2019 तक)
1	आंध्र प्रदेश	394021.193	512763.000	761458.36	324686.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	15675.987	20679.650	19800.64	10756.62
3.	असम	125459.790	112366.538	105037.23	72973.98
4.	बिहार	166740.556	246888.442	289194.25	116910.18
5.	छत्तीसगढ़	223193.550	289885.207	308997.05	133643.47
6.	गुजरात	64323.810	82505.071	106079.98	34925.14
7.	हरियाणा	28771.330	30140.644	35625.15	6446.88
8.	हिमाचल प्रदेश	38860.834	58684.461	78034.36	16999.35
9.	जम्मू और कश्मीर	80408.520	125417.690	79334.12	75829.87
10.	झारखंड	167914.171	135264.566	154629.50	40902.88
11.	कर्नाटक	225864.879	295632.542	304975.56	196212.96
12.	केरल	158248.959	185406.396	235473.91	153941.22
13.	मध्य प्रदेश	344891.617	376889.916	470364.71	178346.97
14.	महाराष्ट्र	165708.925	185828.742	201918.84	61632.56
15.	मणिपुर	34370.410	15778.890	28698.66	18142.18
16.	मेघालय	86069.230	87060.440	79654.70	22228.69
17.	मिजोरम	14451.260	20081.040	40288.92	22362.07
18.	नागालैंड	50152.800	110492.875	19560.20	24275.77
19.	ओडिशा	189526.844	219834.665	222418.39	48920.61
20.	पंजाब	49073.460	61895.859	60000.32	28085.58
21.	राजस्थान	481816.863	472828.409	549230.58	292499.21
22.	सिक्किम	13262.560	10571.148	9762.58	1551.45
23.	तमिलनाडु	455277.907	583166.132	498193.66	214711.20
24.	तेलंगाना	180684.744	253920.331	297094.62	115205.41
25.	त्रिपुरा	101629.140	40440.497	44462.89	16933.05
26.	उत्तर प्रदेश	391584.937	369177.652	547575.02	150257.63
27.	उत्तराखंड	51435.079	71685.063	61194.75	13553.90
28.	पश्चिम बंगाल	537722.785	592702.953	737344.61	384642.88
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	801.395	966.068	761.93	186.98
30.	दादरा और नगर हवेली	0.000	0.000	484.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.000	0.000	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.000	26.710	15.97	11.91
33.	पुडुचेरी	346.917	1569.028	1475.36	91.33
34.	गोवा	425.850	56.050	48.83	144.28
	कुल	4838716.305	5570606.675	6259189.67	2778012.35

*वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सभी एनईएफएमएस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विफल एफटीओ के 56268.00 लाख रूपये सहित

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विफल लेनदेन की राशि के कारण मजदूरी व्यय के एवज में कटौती किए गए 136890.498 रूपये सहित राशि पुन: क्रेडिट कर दी गई।

$ वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विफल लेनदेन के 156046.92 लाख रूपये सहित

*****